



NORTH CENTRAL RAILWAY EMPLOYEES SANGH



Registered, Recognised & Affiliated to N.F.I.R. & I.N.T.U.C.
Central Office : 464/B, Nawab Yusuf Road, Prayagraj (U.P.)

No : 55/NCRES/76/23

Date : 1.3.2023

श्रीमान प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी
नार्थ सेन्ट्रल रेलवे, प्रयागराज

विषय:- RBE 212/2019 एवं RBE 35/2021 का नार्थ सेन्ट्रल रेलवे में सही प्रकार से अमल न किया जाना।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में अवगत कराना है कि रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या RBE 212/2019 के अनुसार दिनांक 1.1.2016 के पश्चात यदि किसी कर्मचारी का MACP/ प्रमोशन जनवरी से जून के मध्य में होता है तो उसके पास यह आश्न होगा कि वह प्रमोशन का इन्कीमेन्ट अपने वार्षिक इन्कीमेन्ट की दिनांक यानि जुलाई में ले सकता है एवं उसके पश्चात उसकी अगली वार्षिक वेतन वृद्धि अगली जुलाई के बजाय 06 माह बाद जनवरी में ही प्राप्त हो जायेगी। इसके बाद उसे आगे की वेतन वृद्धि जुलाई के बजाय जनवरी में ही प्राप्त होती रहेगी।

यह भी कि RBE 212/2019 के अनुसार कर्मचारी यदि ऐसा आश्न का प्रयोग/पुनः प्रयोग करना चाहता है तो उसे ऐसा पत्र जारी होने की तिथि 28.12.2019 से एक माह के अन्दर करना होगा। RBE 35/2021 दिनांक 15.4.2021 के द्वारा पुनः ऐसा आदेश देने की यह सीमा पत्र जारी होने की तिथि से तीन माह के लिये बढ़ा दी गई थी।

NCRES को खेद के साथ अवगत कराना है कि रेलवे बोर्ड के उपरोक्त निर्देशो का अनुपालन नार्थ सेन्ट्रल रेलवे के प्रयागराज एवं झांसी मण्डलो में ठीक प्रकार से नहीं किया जा रहा है एवं वर्ष 2016 से 2019 के मध्य MACP/प्रमोट हुये कर्मचारियों को लाभ प्रदान नहीं किया जा रहा है एवं बताया जा रहा है कि कर्मचारियों द्वारा समय पर आश्न नहीं दिया गया है।

इस सम्बन्ध में NCRES का मत है कि जिन कर्मचारियों ने RBE 212/2019 के जारी होने के पूर्व ही MACP/प्रमोशन के समय आश्न दे कर अपनी पदोन्नति का इन्कीमेन्ट अपनी वार्षिक इन्कीमेन्ट की दिनांक से लगाने का आश्न देकर जुलाई में दो इन्कीमेन्ट प्राप्त कर लिया था, उन्हें पुनः ऐसा आश्न देने की जरूरत ही नहीं है एवं उनको अगली वेतन वृद्धि जनवरी में दे दिया जाना था परन्तु नार्थ सेन्ट्रल रेलवे में ऐसा नहीं किया जा रहा है।

उदाहरण के लिये -

क.	मण्डल	कर्मचारी का नाम	पद	PF/NP No.	प्रमोशन / MACP	प्रमोशन दिनांक	आप्लान के पश्चात फिक्सेशन	वर्तमान वेतन वृद्धि	RBE 212/19 के तहत रिमार्क
1.	प्रयागराज	प्रदीप कुमार मिश्रा	CLI/ PRYJ	33204612255	लोको पायलट मेल से CLI में प्रमोशन	10.2. 2016	जुलाई 2016 में 02 इन्कीमेन्ट प्राप्त किया	प्रतिवर्ष जुलाई	जनवरी 2017 में इन्कीमेन्ट दिया जाना चाहिये जो कि नहीं दिया गया।
2.	झांसी	श्री राजेश गुप्ता	सेवा. वरि. अनु. अभि. वि. लो. शेड, झांसी	003667935 एवं PPO No. 20227320300	MACP in GP-5400	19.2. 2017	जुलाई 2017 में 02 इन्कीमेन्ट प्राप्त किया	प्रतिवर्ष जुलाई	जनवरी 2018 में इन्कीमेन्ट दिया जाना चाहिये जो कि नहीं दिया गया।

अतः NCRES की मांग है कि नार्थ सेन्ट्रल रेलवे के प्रयागराज एवं झांसी मण्डल को निर्देश दिया जाय कि वर्ष 2016 से 2019 (फरवरी-जून) के मध्य प्रमोट/MACP प्राप्त किये हुये ऐसे सभी कर्मचारी जिन्होंने आप्लान देकर पहले ही जुलाई में दो इन्कीमेन्ट प्राप्त कर लिया है उन्हें अगली वेतन वृद्धि 06 माह बाद अगली जनवरी में देते हुये पुनः वेतन निर्धारण करते हुये एरियर प्रदान करने हेतु उचित आदेश करने का कष्ट करें।

आदेश की प्रतिलिपि NCRES को भी देने का कष्ट करें।

माि ५.१५
(आर. पी. सिंह)
महामंत्री